

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक-59/15 (डकैती)

प्रस्तुति/संस्थित दिनांक 18.11.11

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना-गोहद

जिला-भिण्ड (म.प्र.)

.....अभियोगी

बनाम

लखना उर्फ रामलखन उर्फ लाखन पुत्र अमरसिंह

गुर्जर आयु 42 वर्ष व्यवसाय खेती निवासी ग्राम

जिमलेदार का पुरा थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

..... अभियुक्त

(सह अभियुक्तगण लखन पुत्र मायाराम के संबंध में दिनांक 22.04.16 को निर्णय घोषित हो चुका है। सह अभियुक्त राजू उर्फ राजवीर फरार है।)

राज्य द्वारा श्री बी0एस0 बघेल विशेष लोक अभियोजक।

अभियुक्त द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 26/07/2017 को घोषित)

1. अभियुक्त लखना उर्फ रामलखन उर्फ लाखन पुत्र अमरसिंह गुर्जर के विरुद्ध भा0द0सं0 की धारा-392 सहपठित 398 एवं धारा-11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि उसने दिनांक 22.06.11 को सुबह 09:30 बजे या उसके लगभग चितौरा ग्वालियर रोड नहर की पुलिया के पास, जो कि डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, में मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के प्रभावशील रहते हुए अन्य सहअभियुक्तगण लाखन पुत्र मायाराम एवं राजू उर्फ राजवीर के साथ मिलकर खतरनाक आयुध कट्टे आदि का उपयोग करते हुए फरियादी अजय शर्मा की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.ई.-5159, फरियादी की बहन सुमन शर्मा के पर्स से पांच हजार रुपए नकद, एक काले मोतियों का मंगलसूत्र तथा सोने के ओम वाले लॉकेट की लूट कारित की।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रकरण में बताया गया है कि अटनास्थल राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर म.प्र.शासन गृह (पुलिस विभाग) मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ 12-1/2000/पी(1)दो

भिण्ड, दिनांक 20.01.2000 से मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के तहत डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है और घटना दिनांक को वह डकैती प्रभावित क्षेत्र था।

3. अभियोजन के अनुसार दिनांक 22.06.11 को फरियादी अजय शर्मा अपनी बहन सुमन शर्मा को सुबह उसकी ससुराल करवास (मौ) से अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.ई.-5159 डिस्कवर 150 बजाज से लेकर अपने गांव सोनी (बिजौली) जा रहा था। चितौरा से लगभग एक डेढ़ किलोमीटर आगे सुबह 09:30 बजे के लगभग तीन लड़के मोटरसाइकिल पर आए और फरियादी की मोटरसाइकिल के आगे अपनी मोटरसाइकिल अड़ाकर रोक लिया। फिर एक लड़के ने उसके कट्टा लगा दिया और तीनों ने मिलकर फरियादी की मोटरसाइकिल छुड़ा ली तथा सुमन शर्मा के पर्स से पांच हजार रुपए तथा एक काले मोतियों का मंगलसूत्र, एक सोने का ओम का लॉकेट छुड़ा लिया तथा भाग गए। भागते में उनकी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल पंचर हो गई और वे उसे छोड़ गए। उक्त घटना की रिपोर्ट अजय शर्मा द्वारा थाना गोहद में प्र०पी०-08 के रूप में दर्ज कराई गई। जिस पर से अपराध क्रमांक 127/11 अंतर्गत धारा-392 भा०दं०सं० तथा 11 एवं 13 म०प्र०ड०प्र०क्षे० अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान में यह तथ्य सामने आए कि उक्त लूट सह अभियुक्तगण राजू उर्फ राजवीर एवं लाखन पुत्र मायाराम गुर्जर के साथ अभियुक्त लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह के द्वारा की गई थी।
4. दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शामौका प्र०पी०-09 बनाया गया। घटनास्थल से प्र०पी०-03 के जप्ती पंचनामे के अनुसार प्लेटिना मोटरसाइकिल जप्त की गई। दिनांक 27.07.11 को सह अभियुक्त राजू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-06 बनाया गया। उसका धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम कथन प्र०पी०-07 लिया गया। जिसमें, बचे हुए रुपए अपने घर रखे होना बताया तथा उसके द्वारा बताई गई जानकारी के आधार पर उसके घर के अंदर के कमरे में रखे बक्से में से 100-100/-रुपए के चार नोट निकाल कर बरामद कराए जाने पर पुलिस के द्वारा उन्हें जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-04 बनाया गया। दिनांक 13.07.11 को राजू से बजाज डिस्कवर लाल काले रंग की बिना नंबर की जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-05 बनाया गया। अभियुक्त लखना उर्फ रामलखन गुर्जर को प्र०पी०-12 के गिरफ्तारी पंचनामे से गिरफ्तार किया गया। उसका प्र०पी०-01 का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम तैयार किया गया, जिसमें बचे हुए रुपए अपने घर पर रखे होने की जानकारी दी, जिसके आधार पर लखना उर्फ रामलखन के घर के अंदर के कमरे से उसके अधिपत्य से 100-100/-रुपए के तीन नोट जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र०पी०-02 बनाया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाते हुए अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
5. उल्लेखनीय है कि सह अभियुक्त लाखन पुत्र मायाराम के संबंध में निर्णय दिनांक 27.04.16 को घोषित किया जा चुका है। सह अभियुक्त राजू उर्फ राजवीर का विचारण धारा-317(2) दं०प्र०सं० के तहत प्रथक

किया गया था। तत्पश्चात् उसे दिनांक 28.04.16 को फरार घोषित करते हुए, उसका स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। यह निर्णय केवल अभियुक्त लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह गुर्जर के संबंध में किया जा रहा है।

6. अभियुक्त लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह गुर्जर को उसके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण की मांग की। धारा-313 दं०प्र०सं० के तहत अभियुक्त लखना उर्फ रामलखन का परीक्षण किए जाने पर उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

7. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. क्या दिनांक 22.06.11 को सुबह लगभग 09:30 बजे चितौरा ग्वालियर रोड नहर की पुलिया के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र में खतरनाक आयुध कट्टे आदि का उपयोग कर फरियादी अजय शर्मा की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.ई. 5159 तथा उसकी बहन सुमन शर्मा के पास से पांच हजार नकद एवं एक काले मोतियों का मंगलसूत्र एवं सोने के ओम के लॉकेट की लूट कारित की गई ?

2. क्या उक्त लूट अभियुक्त लखना उर्फ लाखन उर्फ रामलखन के द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर कारित की गई ?

3. दोषसिद्धि एवं दण्डादेश ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01

8. फरियादी अजय शर्मा अ०सा०-04 ने यह बताया है कि दिनांक 22.06.11 को सुबह 09:30 बजे के लगभग वह ग्राम करवास थाना मौ से अपनी बहन श्रीमती सुमन शर्मा को उसकी ससुराल से लेकर अपने घर ग्राम सोनी थाना बिजौली ग्वालियर मोटरसाइकिल डिस्कवर 150 क्रमांक एम.पी.-07-एम.ई.-5159 से जा रहा था और वह मोटरसाइकिल चला रहा था और उसकी बहन पीछे थी तथा यह साक्षी अपने भांजे को आगे सीट पर बैठाए था। उसने यह भी बताया है कि उसकी बहन पर्स लिए थी, जिसमें पांच हजार रुपए नकद, एक ओम आकार का सोने का लॉकेट था। बहन मंगलसूत्र पहने थी।

9. अजय शर्मा अ०सा०-04 ने यह भी बताया है कि जब वह चितौरा रोड़ पर नहर की पुलिया पर आए तब तीन लोगों ने कट्टा अड़ा कर उन्हें रोक लिया और उसकी मोटरसाइकिल लूट ली, उसकी बहन का पर्स छुड़ा लिया। बहन के गले से सोने का मंगलसूत्र एवं ओम आकार का सोने का लॉकेट एवं अपनी मोटरसाइकिल की लूट होना बताया है।

10. अजय शर्मा अ०सा०-04 ने यह भी बताया है कि उसने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद में की थी, जो प्र०पी०-08 है। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर नक्शा मौका प्र०पी०-09 बनाया था। उसकी बहन श्रीमती सुमन शर्मा अ०सा०-05 ने अजय शर्मा अ०सा०-04 की उपरोक्त साक्ष्य की पुष्टि करते हुए दिनांक 22.06.11 को चितौरा रोड़ पर नहर की

पुलिया के पास तीन लोगों के द्वारा प्लेटिना गाड़ी से आना और भाई अजय शर्मा पर कट्टा लगाना तथा अजय शर्मा की मोटरसाइकिल तथा उससे मंगलसूत्र, ओम के पेण्डल व पांच हजार रूपए नकद छुड़ा कर भाग जाना बताया है। यह भी बताया है कि उसके भाई अजय ने घटना की रिपोर्ट थाना गोहद पर लिखाई थी। यद्यपि पुलिस के द्वारा बयान लिए जाने के तथ्य पर अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किया है। परंतु अभियोजन घटना की संपूर्ण पुष्टि उसके द्वारा की गई है। इस कारण मुख्य परीक्षण में पुलिस के द्वारा कथन न लिया जाना बताए जाने से कोई प्रभाव नहीं है। जबकि बाद में अभियोजन की ओर से सुझाव दिए जाने पर यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसका प्र०पी०-11 का कथन लिया था। इस प्रकार श्रीमती सुमन अ०सा०-05 की साक्ष्य से अजय शर्मा अ०सा०-04 की साक्ष्य की पूर्ण पुष्टि हो रही है।

11. डी.पी. गुप्ता अ०सा०-07 ने यह बताया है कि दिनांक 22.06.11 को उनके गोहद थाने में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए फरियादी अजय शर्मा द्वारा थाने पर उपस्थित होकर ग्वालियर चितौरा रोड पर तीन अज्ञात लड़कों के द्वारा उनकी मोटरसाइकिल, मंगलसूत्र, पेण्डल आदि की लूट के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई जाना बताया है, जो प्र०पी०-08 उनके द्वारा कायम करना बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि फरियादी के बताए अनुसार घटनास्थल पर जाकर घटनास्थल का मानचित्र प्र०पी०-09 बनाया था। इस प्रकार डी.पी. गुप्ता अ०सा०-07 की साक्ष्य से अजय शर्मा अ०सा०-04 एवं श्रीमती सुमन अ०सा०-05 की साक्ष्य की पूर्ण रूप से पुष्टि हो रही है। जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-08 से भली-भांति हो रही है।

12. प्र०पी०-08 की प्रथम सूचना रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें दिनांक 22.06.11 सुबह लगभग 09:30 बजे चितौरा ग्वालियर रोड नहर की पुलिया के पास तीन लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिल पर आना तथा आकर फरियादी अजय शर्मा की बजाज डिस्कवर 150 के आगे अपनी मोटरसाइकिल अड़ाकर रोक लेना तथा कट्टा लगाने के तथ्य है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-08 में तीनों के द्वारा अजय शर्मा की उक्त मोटरसाइकिल तथा उसकी बहन सुमन शर्मा का काले मोतियों का मंगलसूत्र, सोने का ओम का लॉकेट और पर्स में नकदी पांच हजार रूपए की लूट कारित करने के तथ्य है। इस प्रकार इस तथ्य की पुष्टि हो रही है कि अजय शर्मा और सुमन शर्मा से उपरोक्त वस्तुओं की लूट कारित की गई।

13. श्रीमती सुमन अ०सा०-05 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-07 में यह बताया है कि अभियुक्तगण प्लेटिना मोटरसाइकिल वहीं छोड़ गए थे। अजय शर्मा अ०सा०-04 ने पैरा-07 में यह भी बताया है कि अभियुक्तगण जिस मोटरसाइकिल से आए थे वह पंक्चर थी, इसलिए घटनास्थल पर छोड़ कर भाग गए थे। जिसकी पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-01 से हो रही है। अजय शर्मा अ०सा०-04 एवं सुमन शर्मा अ०सा०-05 के प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य को चुनौती नहीं दी गई है कि उपरोक्त प्रकार से अजय शर्मा एवं सुमन शर्मा के साथ उपरोक्त सामान

की लूट कारित नहीं हुई है। अपितु अजय शर्मा अ०सा०-04 को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्तगण लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन अमरसिंह एवं अभियुक्त लाखन पुत्र मायाराम लूट करने वालों में शामिल नहीं थे। इसी प्रकार श्रीमती सुमन अ०सा०-05 को प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिया गया है कि अभियुक्तगण लाखन उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह एवं लाखन पुत्र मायाराम ने उनके साथ लूट कारित नहीं की। जिससे इन साक्षियों ने इन्कार किया है। परंतु उपरोक्त लूट की घटना होने के संबंध में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

- 14.** अजय शर्मा अ०सा०-04 एवं श्रीमती सुमन शर्मा अ०सा०-05 के प्रतिपरीक्षण में भी ऐसे कोई तथ्य नहीं आए हैं कि जिससे उनकी साक्ष्य में बताए गए उपरोक्त तथ्यों पर अविश्वास किया जाए। अजय शर्मा अ०सा०-04 एवं श्रीमती सुमन शर्मा अ०सा०-05 के द्वारा बताई गई उपरोक्त घटना की पुष्टि डी.पी. गुप्ता अ०सा०-07 की साक्ष्य से तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०-01 से भली-भांति हो रही है। अजय शर्मा अ०सा०-04 एवं श्रीमती सुमन शर्मा अ०सा०-05 की साक्ष्य उपरोक्त बिन्दुओं पर पूर्णतः विश्वसनीय है, जिसमें जरा भी संदेह या संदिग्धता उत्पन्न नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 22.06.11 को सुबह लगभग 09:30 बजे चितौरा ग्वालियर रोड़ नहर की पुलिया के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र में खतरनाक आयुध कट्टे आदि का उपयोग कर फरियादी अजय शर्मा की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.ई. 5159 तथा उसकी बहन सुमन शर्मा के पास से पांच हजार नकद एवं एक काले मोतियों का मंगलसूत्र एवं सोने के ओम के लॉकेट की लूट कारित की गई।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02

- 15.** अजय शर्मा अ०सा०-04 ने मुख्यपरीक्षण में ही पैरा-02 में अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह को पहचानते हुए बताया है कि उसने, उसके साथ लूट कारित की थी और यह भी बताया है कि अभियुक्तगण के साथ एक और अभियुक्त था। श्रीमती सुमन शर्मा अ०सा०-05 ने यह भी मुख्यपरीक्षण में ही अभियुक्तगण लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह तथा लाखन पुत्र मायाराम को पहचानते हुए यह बताया है कि लूट कारित करने वाले लोगों में दोनों हाजिर आदालत अभियुक्तगण एवं एक अन्य अभियुक्त था। दोनों ही साक्षियों को प्रतिपरीक्षण में अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह के संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि न्यायालय में दोनों अभियुक्तगण खड़े होने तथा अन्य किसी के न होने के कारण यह दोनों साक्षी उसे लूट कारित करने वालों के रूप में बता रहे हैं, जिससे इन दोनों साक्षियों ने इन्कार किया है।
- 16.** अजय शर्मा अ०सा०-04 ने प्रतिपरीक्षण में पैरा-06 में यह बताया है कि पुलिस ने अभियुक्त की पहचान संबंधी कार्यवाही कराई थी या नहीं, उसे याद नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं प्रस्तुत की गई साक्ष्य के आधार पर यह प्रकट है कि अभियुक्तगण की कोई

शिनाख्ती कार्यवाही नहीं हुई है। परंतु श्रीमती सुमन शर्मा अ०सा०-05 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-04 में यह बताया है कि लूट करने वालों में एक बदमाश की उम्र 20-25 साल से ज्यादा थी। पैरा-06 में उसने अभियुक्त लाखन पुत्र मायाराम की ओर इशारा करते हुए उसके द्वारा उसके भाई अजय पर कट्टा लगाना बताया है। उसने लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह की ओर इशारा करते हुए यह बताया है कि उसने उसका मंगलसूत्र छीना था। इसी प्रकार अजय शर्मा अ०सा०-04 ने लाखन पुत्र मायाराम की ओर इशारा करते हुए बताया है कि उसने कट्टा लगाया था। इस प्रकार दोनों ही साक्षियों की पुष्टि आपस में भली-भांति हो रही है और दोनों ही साक्षियों ने लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह को लूट कारित करने वालों में होना बताया है तथा न्यायालय में उन्हें पहचाना है।

17. इस मामले में भले ही पुलिस के द्वारा शिनाख्ती कार्यवाही नहीं कराई गई हो, परंतु प्रकरण में ऐसी साक्ष्य नहीं है कि अजय शर्मा अ०सा०-04 और श्रीमती सुमन शर्मा अ०सा०-05 ने अभियुक्तगण को पहले ही थाने पर देख लिया हो। उनके द्वारा स्पष्ट रूप से अभियुक्त लाखन को न्यायालय में पहचाना गया है। अन्य किसी को खड़ा करने या न करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वैसे भी मानवीय संव्यवहार के साधारण अनुक्रम में यह अस्वभाविक है कि कोई भी व्यक्ति किसी दोषी व्यक्ति को छोड़कर किसी निर्दोष को प्रकरण में झूठा फंसाएगा।
18. इस मामले कि कुछ विवेचना डी.पी. गुप्ता अ०सा०-07 एवं शेष विवेचना एस.के. शर्मा अ०सा०-08 के द्वारा की गई है। डी.पी. गुप्ता अ०सा०-07 ने घटनास्थल से एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की जप्त कर जप्तीपंचनामा 03ए बनाया जाना बताया है। अजय शर्मा अ०सा०-04 एवं श्रीमती सुमन अ०सा०-05 ने भी अभियुक्तगण के द्वारा मोटरसाइकिल घटनास्थल पर छोड़कर जाना बताया है। जिसका कारण अजय शर्मा अ०सा०-04 ने मोटरसाइकिल का पंचर होना बताया है। इस प्रकार डी.पी. गुप्ता अ०सा०-07 की साक्ष्य, अजय शर्मा अ०सा०-04 और श्रीमती सुमन शर्मा अ०सा०-05 की साक्ष्य की साक्ष्य से उक्त बिन्दुओं की पुष्टि हो रही है।
19. यू.एन.एस. परिहार अ०सा०-09 ने दिनांक 30.11.11 को थाना गोहद में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना मालनपुर के अन्य अपराध क्रमांक 154/11 अंतर्गत धारा-302, 201 एवं 34 भा०दं०सं० में निरोध में अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह के संबंध में न्यायालय में आवेदन प्र०पी०-13 प्रस्तुत करते हुए पुलिस रिमाण्ड पर लिए जाने की कार्यवाही करना बताया है। एस.के. शर्मा अ०सा०-08 ने दिनांक 30.11.11 को थाना गोहद पर उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए, इस प्रकरण की विवेचना करना तथा विवेचना के क्रम में अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह गुर्जर को प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में तलब कराया जाकर गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-12 बनाया जाना बताया है। जिसकी पुष्टि आर० सुनील कुमार अ०सा०-06 ने भली भांति की है।

- 20.** एस.के. शर्मा अ०सा०-08 ने अभियुक्तगण लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्र०पी०-01 लेना बताया है और यह बताया है कि उक्त अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन ने बताया था कि लखना ने बचे हुए रूपए अपने घर पर रखे होना और चलकर बरामद कराने की बात बताई थी, उन्होंने यह भी बताया है कि लखना के द्वारा अपने के अन्दर के कमरे से सौ-सौ रूपए के तीन नोट निकाल कर बरामद कराए जाने पर जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र०पी०-02 बनाया था। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण में केवल नकारात्मक सुझाव दिए गए हैं। जिससे इस साक्षी ने इन्कार किया है। इस साक्षी पर कोई प्रभावी प्रतिपरीक्षण ही नहीं हुआ है। इस कारण उसकी साक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हो पाया है।
- 21.** साक्षी डी.पी. गुप्ता अ०सा०-07, एस.के. शर्मा अ०सा०-08, यू.एन.एस. परिहार अ०सा०-09 ने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में संपूर्ण कार्यवाही की है। अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह गुर्जर की ओर से कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि इन साक्षियों से अभियुक्त की कोई रंजिश है या अन्य कोई कारण है, जिससे कि उसे झूठा फंसाया गया। इन साक्षियों की साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का ऐसा कोई कारण नहीं है। उनकी साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है।
- 22.** साक्षी कमलेश अ०सा०-01 एवं विनोद अ०सा०-02 अभियोजन के अनुसार लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह के मेमोरेण्डम प्र०पी०-01 और जप्ती प्र०पी०-02 के साक्षी हैं। उन्होंने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार अभियुक्त राजू उर्फ राजवीर से सौ-सौ रूपए के चार नोट, मोटरसाइकिल बजाज डिस्कवर 150 के जप्ती पंचनामे प्र०पी०-03 एवं प्र०पी०-05, राजू का गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी०-06, राजू उर्फ राजवीर का धारा-27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरेण्डम प्र०पी०-07 का साक्षी चरनसिंह अ०सा०-03 है। परंतु उसने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है। जहां कि उपरोक्त साक्षियों की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय हो, तब विवेचना के इन साक्षियों के अभियोजन का समर्थन न करने से अभियोजन के मामले एवं संपूर्ण साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। साक्षी चरनसिंह अ०सा०-03 राजू उर्फ राजवीर की विवेचना के संबंध में साक्षी है। इस कारण अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन गुर्जर के संबंध में उसका कोई विशेष प्रभाव भी नहीं है।
- 23.** बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क किया गया है कि एफ.आई.आर में अभियुक्तगण की पहचान का कोई हुलिया नहीं है, लखना उर्फ रामलखन की आयु लगभग 42 वर्ष है। इस संबंध में अजय शर्मा अ०सा०-04 ने पैरा 6 में स्पष्ट कर दिया है कि लुटेरे 20-25 साल के थे या नहीं वह निश्चित नहीं कह सकता। लुटेरे एक कम उम्र का और एक ज्यादा उम्र के भी हो सकते हैं। श्रीमती सुमन अ०सा०-05 ने भी प्रतिपरीक्षण में ही पैरा-04 में बताया है कि लूट करने वालों में एक बदमाश की उम्र 20-25 साल से कुछ ज्यादा थी। इस प्रकार दोनों ही

साक्षियों ने एक व्यक्ति की आयु 20-25 साल से ज्यादा होना बताया है तथा न्यायालय में लखना उर्फ रामलखना को पहचाना है तब ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट में पहचान का हुलिया न होने से कोई प्रभाव नहीं है।

24. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि लखना उर्फ रामलखन को केवल मेमोरेण्डम के आधार पर अभियुक्त बनाया है और उससे केवल 100-100 के तीन नोट जप्त हुए हैं। इस प्रकार 100-100 के तीन नोट किसी के भी पास हो सकते हैं या पुलिस अपनी ओर से रख सकती है। जहां कि अभियुक्त को न्यायालय में पहचान लिया गया है, वहां ऐसी स्थिति में रूपए जप्त होने या न होने से भी कोई प्रभाव नहीं है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि प्लेटिना मोटरसाइकिल लगभग 4 घंटे घटनास्थल पर ही पड़ी रही और इतनी अवधि में वहां कोई भी आ जा सकता था। जहां कि घटना हुई है, तब घटनास्थल पर पंचवार मोटरसाइकिल पड़ी रहना एक स्वभाविक तथ्य है। यह आवश्यक नहीं है कि इस अवधि के दौरान कोई व्यक्ति आकर उसे ले जावे।

25. बचाव में लखना उर्फ रामलखन ने अपने पिता अमर सिंह ब0सा0-01 की साक्ष्य कराई है, जिसने यह बताया है कि छः साल पूर्व जून के माह में सुबह 09:30 बजे लखना उर्फ रामलखन अपने घर पर था और उसके साथ खलियान पर काम कर रहा था। उसके लड़के के विरुद्ध पुलिस गोहद के द्वारा झूठा केस लगा दिया गया है। उससे कोई लूट का माल बरामद नहीं हुआ है। प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर यह बताया है कि उसका लड़का लखन मई व जून के महीने में रिश्तेदारों के यहां शादी संबंध व तैरवीं आदि में घर से बाहर नहीं जाता है। इस साक्षी के द्वारा बताया गया यह तथ्य पूर्णतः अस्वाभाविक होना प्रकट है। मई जून में उसने अपने लड़के का कहीं न जाना बताया है। जबकि यू.एन.एस. परिहार अ0सा0-09 के अनुसार अन्य अपराध क्रमांक 154/11 में लखना उर्फ रामलखन निरुद्ध था, जिसे प्रोडक्शन वारंट के पालन में तलब कराया गया है।

26. अमर सिंह ब0सा0-01 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-04 में यह स्वीकार किया है कि उसने पुत्र को झूठा फंसाए जाने के संबंध में कहीं कोई शिकायत नहीं की थी। यह मानवीर संव्यवहार के साधारण अनुक्रम में पूर्णतः अस्वाभाविक प्रतीत होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को बिना किसी कारण के झूठा फंसाएगा। बचाव पक्ष की ओर से झूठा फंसाए जाने के संबंध में कोई भी कार्यवाही न किया जाना इस तथ्य को दर्शाता है कि वास्तविक में अभियुक्त को झूठा नहीं फंसाया गया है। यदि अभियुक्त को झूठा फंसाया जाता तो वह इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के समक्ष या न्यायालय के समक्ष अवश्य कार्यवाही करता, जो कि नहीं की गई है। मौन रूप से विचारण को झेले जाना भी यह प्रकट करता है कि अभियुक्त को झूठा नहीं फंसाया गया है। ऐसे में अमर सिंह ब0सा0-01 की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है।

27. इस प्रकार अजय शर्मा अ0सा0-04 एवं श्रीमती सुमन शर्मा अ0सा0-05 ने अभियुक्त लखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र

अमरसिंह को न्यायालय में ही पहचान कर उनके द्वारा लूट कारित करना बताया है। जिसकी पुष्टि में विवेचना के साक्षी एस.के. शर्मा अ०सा०-08 ने प्र०पी०-01 का मेमोरेण्डम लेना तथा उसी के आधार पर सौ-सौ रूपए के तीन नोट की जप्ती प्र०पी०-02 के अनुसार करना बताया है। जिससे भी एस.के.शर्मा अ०सा०-08 की उक्त साक्ष्य की एवं विवेचना की पुष्टि अजय शर्मा अ०सा०-04 एवं श्रीमती सुमन शर्मा अ०सा०-05 की साक्ष्य से भली-भांति हो रही है। इन संपूर्ण परिस्थितियों में अजय शर्मा अ०सा०-04, श्रीमती सुमन अ०सा०-05, सुनील अ०सा०-06, डी.पी.गुप्ता अ०सा०-07, एस.के.शर्मा अ०सा०-08 एवं यू.एन.एस. परिहार अ०सा०-09 की साक्ष्य पूर्णतः विश्वसनीय है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि उक्त लूट अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह के द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर की गई और उक्त लूट डकैती प्रभावित क्षेत्र में की गई, जिसमें कि ज़रा भी संदेह उत्पन्न नहीं हुआ है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03 दोषसिद्धि एवं दण्डाज्ञा-

28. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह के विरुद्ध यह युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह ने दिनांक 22.06.11 को सुबह लगभग 09:30 बजे चितौरा ग्वालियर रोड पर नहर की पुलिया के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र में खतरनाक आयुध कट्टे आदि का उपयोग कर फरियादी अजय शर्मा की मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी.-07-एम.ई. 5159 तथा उसकी बहन सुमन शर्मा के पास से पांच हजार नकद एवं एक काले मोतियों का मंगलसूत्र एवं सोने के ओम के लॉकेट की लूट कारित की। यह भी प्रमाणित है कि उपरोक्त लूट कारित करने में अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन एवं अन्य सहअभियुक्तगण घातक आयुध से सुसज्जित थे।

29. फलस्वरूप अभियुक्त लखना उर्फ लाखन उर्फ रामलखन गुर्जर पुत्र अमरसिंह को भा०द०सं० की धारा-392 सहपठित 398 के तहत तथा मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा-11 एवं 13 के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

30. बचावपक्ष की ओर अभियुक्त लखना उर्फ लखन उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह गुर्जर को परिवीक्षा पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गई है, जबकि राज्य की ओर से विरोध किया है और यह व्यक्त किया है कि अभियुक्त ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर और कट्टा अडाकर लूट कारित करने जैसे गंभीर अपराध किया है परिवीक्षा का लाभ न दिए जाने की प्रार्थना की गई है। परिवीक्षा के संबंध में उभयपक्ष को सुने जाने एवं प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि कट्टा अडाकर महिला और उसके भाई के साथ लूट कारित की गई है, जहां कि महिला के साथ एक छोटा डेढ़ वर्ष का बच्चा भी था। अभियुक्तगण मोटरसाइकिल साथ ले गए। अभियुक्त लखना उर्फ लाखन उर्फ

रामलखन की आयु घटना के समय लगभग 34 वर्ष की रही होगी। मामले की इन संपूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः परिवीक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं दिया गया। यह निर्णय लेखन दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त लखना उर्फ लाखन उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह गुर्जर एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुने जाने हेतु थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

मोहम्मद अजहर
विशेष न्यायाधीश डकैती
गोहद जिला भिण्ड

पुनश्च:

31. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त तथा उनके विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी.एस. गुर्जर को सुना गया तथा राज्य की ओर से श्री बी.एस. बटेल विशेष लोक अभियोजक को सुना गया। राज्य की ओर से कठोरतम दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई है। अभियुक्त लखना उर्फ लाखन उर्फ रामलखन गुर्जर की ओर से व्यक्त किया है कि वह गरीब व्यक्ति है, वह लगातार न्यायिक निरोध में है और लंबे समय से अभियोजन का सामना कर रहा है। उस पर अपने परिवार की देखरेख का दायित्व भी है उक्त आधारों पर न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि से ही दण्डित किए जाने की प्रार्थना की गई है।
32. प्रकरण की उपरोक्त संपूर्ण परिस्थितियों तथा उभयपक्ष के मामले एवं उनकी संपूर्ण परिस्थितियों पर विचार किया गया। इस मामले में अभियुक्त लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर फरियादी अजय शर्मा पर कट्टा लगाकर लूट कारित की गई है। अजय शर्मा के साथ उसकी बहन श्रीमती सुमन और उसका भांजा भी था। महिला के मंगलसूत्र और ओम के लॉकेट तथा अजय शर्मा की मोटरसाइकिल की भी लूट कारित की गई है। लूट दिन दहाड़े की गई है अभिलेख का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध अन्य प्रकरण भी थे। मामले की संपूर्ण परिस्थितियों एवं तथ्यों को देखते हुए अभियुक्त को शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।
33. फलस्वरूप लाखन उर्फ लखना उर्फ रामलखन गुर्जर पुत्र अमरसिंह को भा0द0सं0 की धारा-392 सहपठित 398 एवं धारा-11 एवं 13 मध्यप्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अधिनियम के तहत के तहत सात वर्ष के कठिन कारावास एवं 5,000/- (पांच हजार) रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का कठिन कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतना होगा।
34. अभियुक्त लखना उर्फ लाखन उर्फ रामलखन गुर्जर पुत्र अमरसिंह गुर्जर को दिनांक 05.12.2011 को गिरफ्तार किया गया था दिनांक 05.09.2012 को उसकी जमानत स्वीकार होकर उसे रिहा किया गया था। दिनांक 22.04.16 को वह पुनः अनुपस्थित हो गया था। दिनांक 04.11.2016 को अन्य प्रकरण में निरोध में होने से उसे इस प्रकरण में अभिरक्षा में लिया गया, तब से वर्तमान तक वह निरोध में है। इस

प्रकरण में अभियुक्त लखना उर्फ लाखन उर्फ रामलखन पुत्र अमरसिंह गुर्जर 541 दिवस निरोध में रहा है। उसके द्वारा न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि समायोजित की जावे। न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि के संबंध में धारा-428 दं०प्र०सं० का प्रमाणपत्र संलग्न किया जावे।

35. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति का अंतिम निराकरण फरार अभियुक्त राजू उर्फ राजवीर के निर्णय के समय किया जाएगा।

36. अभियुक्त को धारा-363(ए) दं०प्र०सं० के अंतर्गत निर्णय की प्रति निशुल्क प्रदान की जावे।

37. प्रकरण में सहअभियुक्त राजू उर्फ राजवीर पुत्र श्रीकृष्ण गुर्जर के विरुद्ध मामला प्रथक है और उसे दिनांक 28.04.16 को फरार घोषित कर उसका स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अतः प्रकरण का मूल अभिलेख नष्ट नहीं किया जावे, सुरक्षित रखा जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)